कार्यालय आजमगढ़ विकास प्राधिकरण, आजमगढ़ ।

संख्या: 564 /एडीए / वृक्षारोपण – 2021 / दिनांक: 27.6.2020

ई–निविदा सूचना

आजमगढ़ विकास प्राधिकरण की ओर से प्रदेश के प्राधिकरणों / उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लो0नि0वि0, आर0ई0एस0, उद्यान, सामाजिक वानिकी एवं अन्य सरकारी विभागों / नगर निकायों / जिला पंचायतों में पंजीकृत उपर्युक्त श्रेणी के पंजीकृत व अनुभवी ठेकेदारों / फर्मों जिन्हें वृक्षारोपण एवं अनुरक्षण के कार्य का अनुभव हो से टू–बिड पद्धति पर **नरौली पुल से कलेक्ट्रेट एवं उसके आस-पास सड़क की दोनों पटरियों पर वृक्षारोपण एवं उसके ०३ वर्ष के रख-रखाव का कार्य हेतु** आन–लाईन ई–निविदायें https://etender.up.nic.in के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाओं की तकनीकी बिड उपस्थित निविदादाताओं / उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कार्यालय आजमगढ़ विकास प्राधिकरण, आजमगढ़ में दिनांक 10-07-2020 को अपरान्ह 02.00 बजे खोली जायेगी।

क्र. सं.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	अनुमानित लागत (रु0 लाख में)	धरोहर धनराशि (रु0 लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ठेकेदारों / फर्मों हेतु ई–निविदा डाउनलोड प्रारम्भ होने तथा अपलोड करने की अन्तिम तिथि	तकनीकी बिड खोलने की तिथि व समय	वित्तीय बिड खोलने की तिथि व समय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	नरौली पुल से कलेक्ट्रेट एवं उसके आसपास सड़क की दोनों पटरियों पर वृक्षारोपण एवं उसके 03 वर्ष के रख–रखाव का कार्य	बी.ओ.क्यू के अनुसार	8.30	0.17	500.00 + 18% GST	15 दिन	दिनांक 03.07.2020 को 14:00 बजे से दिनांक 10.07.2020 को 14.00 बजे तक।	दिनांक 10.07.2020 को 15.00 बजे।	तकनीकी बिड खोलने के उपरान्त ई-टेण्डर की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा

नियम व शर्तें: –

1. निविदा की प्रोसेसिंग का मूल्य, धरोहर धनराशि आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से अलग–अलग निम्न विवरण के अनुसार निविदा खुलने की तिथि से एक दिन पूर्व तक आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के खाते में जमा किया जाना होगा। वांछित धनराशि खाते में जमा होने की पुष्टि के उपरान्त ही निविदा पर विचार किया जायेगा। खाते का विवरण निम्नवत् है–

   Name of A/c Holder : Secretary, Azamgarh Development Authority, Azamgarh
   A/C No. : 50085044038
   IFS Code : ALLA0212281
   Name of Bank : ALLAHABAD BANK, COLLECTORATE BRANCH, AZAMGARH.

2. निविदा प्रपत्र / धरोहर धनराशि के मूल्य, से सम्बन्धित आर0टी0जी0एस0 का यूटीआर के नम्बर की छायाप्रति स्कैन कर निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड किया जाना होगा।
3. निविदा वेबसाइट https://etender.up.nic.in पर निर्धारित समयावधि में उपलब्ध रहेगी। इच्छुक ठेकेदार नियमित रुप से उक्त वेबसाइट देखते रहें क्योंकि निविदाओं के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जायेगी। डिजिटल सिग्नेचर धारक ठेकेदार / फर्मों द्वारा ही आनलाइन निविदा डाली जा सकती है।
4. निविदा प्रपत्र के साथ रू0 100.00 का नॉन जुडिशियल स्टॉम्प पेपर जो निविदादाताओं के नाम से क्रय किया हो व रू0 1.00 का रेवेन्यू स्टॉम्प संलग्न करना आवश्यक है, जिस पर ठेकेदार के मानक हस्ताक्षर देने होंगे।
5. ठेकेदार के बिना हस्ताक्षर युक्त निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी।
6. सशर्त अथवा किसी भी रूप में अधूरी निविदायें मान्य नहीं होंगी एवं निरस्त मानी जायेंगी।

7. ई–निविदा पत्रों में उल्लिखित सभी शर्तें निविदादाता को मान्य होगी।
8. अकेले (एकल) निविदा प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
9. यह ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी कि निविदा की कीमत भरने से पूर्व कार्य एवं कार्य क्षेत्र देख लें।
10. यदि ठेकेदार के श्रमिकों द्वारा कोई नुकसान होता है, तो उसकी क्षतिपूर्ति ठेकेदर से की जायेगी।
11. यदि ठेकेदार तथा विभाग के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होगा तो ऐसे विवाद के निर्णय हेतु आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा नियुक्त आर्बीटेटर ही निर्णय करेंगे। आर्बीटेटर का निर्णय अन्तिम होगा तथा निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
12. विभाग को कार्यहित में किसी भी समय ठेका समाप्त करने/ठेके का समय बढ़ाने का पूर्ण अधिकार होगा।
13. यदि कार्य सन्तोषजनक नहीं पाया जाता है तो विभाग द्वारा नोटिस दिया जायेगा। नोटिस के 15 दिन बाद तक भी कार्य सन्तोषजनक नहीं किया गया तो असन्तोषजनक कार्य डेबिटेबिल एजेन्सी से बाजार दर पर करा दिया जायेगा, जिसका भुगतान ठकेदार के बिल से काट लिया जायेगा।
14. रख रखाव कार्य में पौधों की सिंचाई, निराई, गुड़ाई एवं छटाई, पौधे सूखने की दशा में जिस प्रजाति के पौधे लगाये गये हैं, उसी प्रजाति के मानक के अनुसार पौधे बदलने होंगे। इसके अतिरिक्त कीटनाशक दवा, रासायनिक खाद के छिड़काव आदि का दायित्व ठेकेदार का होगा। इसके लिये आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी। ऐसा न करने पर जमानत धनराशि जब्त की जा सकती है।
15. वृक्षारोपण के लिये गड्ढे का आकार मानक के अनुसार करना होगा तथा खाद, मिट्टी का मिश्रण व मानक के आधार पर पौधा लगाना होगा।
16. ठेकेदार द्वारा आपूर्ति कर लगाये गये ट्री गार्ड की सुरक्षा/देखभाल स्वयं करनी होगी।
17. लगाये गये पौधों की संख्या हस्तान्तरण के समय पौधों की संख्या समान होगी, यदि अनुरक्षण की अवधि में कोई पेड़ क्षतिग्रस्त होता है तो लगाये जाने की तिथि के उपरान्त अन्य पौधों की आयु एवं वृद्धि स्थिति के अनुरूप ही पौधों का प्रतिस्थापन करना होगा।
18. वृक्षारोपण/पौधे के रख–रखाव हेतु विभाग द्वारा ठेकेदार को कोई टी0एण्डपी0 उपलब्ध नहीं करायी जायेगी।
19. ठेकेदार को पौधों की सिंचाई हेतु वॉटर टैंकर, ट्रैक्टर, पाइप आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। अलग से कोई भी सुविधा विभाग द्वारा देय नहीं होगी।
20. पौधों की मृत्यु/नष्ट होने पर उनके स्थान पर तुरन्त उसी ऊंचाई एवं गुणवत्ता के पौधे का पुनः रोपण करना होगा।
21. कार्य स्थल पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना एवं ठेकेदार व लेबर के बीच के विवाद का समाधान स्वयं ठेकेदार को करना होगा। विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
22. निविदा स्वीकृत होने पर ठेकेदार को पौधों की सुरक्षा/निराई–गुड़ाई आदि कार्य हेतु रखे जाने वाले गार्ड एवं मालियों की संख्या एवं उनके पहचान आदि हेतु अनुबन्ध के अनुसार विस्तृत विवरण कार्यालय में जमा करना होगा।
23. उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियम नियमावली वर्ष 2009के विनिमय (2)24के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा का एकल पंजीकरण करना अनिवार्य है। अत : निविदा स्वीकृति एवं अनुबन्ध गठन के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जायेगा तथा प्रत्येक देयक से नियमानुसार लेबर सेस की कटौती की जायेगी।
24. निविदाओं की बी0ओ0क्यू0 में अंकित कार्यों की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिए ठेकेदार / फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। निविदा डालने से पूर्व ठेकेदारों / फर्मों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्थल निरीक्षण कर लें क्योंकि बाद में स्थल से सम्बन्धित कोई क्लेम मान्य न होगा।
25. निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानक व निविदा की लागत के अनुसार आवश्यक धनराशि के स्टैम्प अनुबन्ध हेतु प्रस्तुत करने होंगे एवं उक्त हेतु अनुबन्ध गठन के समय रु0 10/- के नान ज्यूडिशियल शपथ स्टाम्प पेपर पर देना होगा।
26. निविदादाताओं / फर्म को निविदा स्वीकृति की दशा में कार्य की कुल लागत 10 प्रतिशत जमानत धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 के रुप में जो संबंधित खण्ड के सचिव, आजमगढ़ विकास प्राधिकरण, आजमगढ़ के पक्ष में बंधक हो जमा करनी होगी।

27. अनुबन्ध गठन की प्रक्रिया या उसके उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित ठेकेदार / फर्म सक्रिय रुप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जाएगा एवं दण्ड के रुप में उसकी धरोहर धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जाएगा।

28. निविदादाता / फर्म द्वारा दिये गये दस्तावेजों / प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। यदि फर्जी / गलत दस्तावेज की जानकारी अनुबन्ध गठन के बाद होती है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रुप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जाएगा।

29. निविदादाता फर्म का वाणिज्यकर विभाग में जी0एस0टी0 के अन्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है तथा उनके सभी देयकों से सभी प्रकार के टैक्सों जैसे- जी0एस0टी0, आयकर, लेबरसेस, आदि जो उ0प्र0 सरकार द्वारा लागू किया जाता है, से सम्बन्धित नियमानुसार व्यवहारित किया जायेगा

30. यदि किसी कारणवश निविदा सूचना में उल्लिखित तिथि को अवकाश हो जाता है तो निविदाये अगले कार्य दिवसों को खोली जायेगी।

31. शासनादेश के अनुसार डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि तीन वर्ष होगी एवं कराये गये कार्यो में यदि गुणवत्ता खराब, अधोमानक होने तथा ठेकेदार की लापरवाही एवं तकनीकी त्रुटि के कारण टूटफूट होती है तो निर्माण कार्यो की पूर्णता की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर उसका रख-रखाव सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।

32. जी0पी0डब्लू0 फार्म-9 अनुबन्ध का हिस्सा होगा।

33. कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। अन्यथा अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिए ठेकेदार / फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

34. निविदा की दर कम या अधिक (Below or Above) अंकित न होने पर निविदा की दर कम (Below) दर के लिए मान्य होगी एवं शासनादेश सं0-522/23-12-2012-2 आडिट / 08 टी0सी0-2 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार बी0ओ0क्यू0 से Below दर देने पर ठेकेदार द्वारा (Performance Security Deposit) अतिरिक्त जमानत धनराशि निम्न विवरण के अनुसार देय होगी।

(अ) 10% Below दर तक 0.50% प्रति 1.00% कम (Below) दर के लिए।

(आ) 10% से अधिक Below दर पर 1.00% प्रति 1.00% कम (Below) दर के लिए।

35. सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके सम्बन्ध मे कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा।

36. कार्य के पूर्ण होने पर उक्त को सम्बन्धित विभाग को सन्तोषजनक स्थिति में हस्तानान्तरित कराने का दायित्व सम्बन्धित ठेकेदार / फर्म का होगा।

37. निविदादाता द्वारा दी गयी दर 1% लेबर सेस सहित मानी जायेगी।

38. वित्तीय बिड कार्यालय आजमगढ़ विकास प्राधिकरण, आजमगढ़ में खोली जायेगी जिसकी तिथि व समय ई-टेण्डरिंग पोर्टल के माध्यम से अवगत करायी जायेगी।

JE

27.6.2020
सचिव
आजमगढ़ विकास प्राधिकरण
आजमगढ़ ।

...बा के सदस्यों ने पाया ...ी के बनाए गए एजेंडा ...र पीपीसी सदस्यों की ...जिस्ट्रार एकेडमिक के ...या है। सूत्रों ने बताया

...के प्रवेश के लिए केवल इंटरमीडिएट अंक पत्र के पांच विषयों का चयन होगा। जिसमें अभ्यर्थी को सर्वोच्च अंक मिले हैं। जन्मतिथि का प्रमाणन हाईस्कूल के सर्टिफिकेट से होगा।

...तक होगा। सामान्य तौर पर कारपेट एक्सपो अक्तूबर या नवंबर में होता रहा है। सीईपीसी देश-विदेश के हैंडमेड कालीन व दरी के कारोबारियों से संपर्क कर रहा है।

...हुए प्रो. वीपी सिंह

वाराणसी। बीएचयू के आयुर्वेद संकाय का डीन प्रो. वीपी सिंह को बनाया गया है। कुलपति प्रो. राकेश भटनागर ने भैषज्य रसायन (मेडिसीनल केमिस्ट्री) विभाग के प्रो. वीपी सिंह को तीन वर्ष अथवा उनकी सेवानिवृत्ति (जो पहले हो) तक के लिए नियुक्त किया है।

...बने प्रो. विजय बहादुर

वाराणसी। बीएचयू के कला संकाय के नए डीन प्रो. विजय बहादुर सिंह होंगे। कुलपति प्रो. राकेश भटनागर ने इनकी नियुक्ति तीन साल के लिए की है। इनका कार्यकाल एक जुलाई से आरंभ होगा। प्रो. सिंह को हिन्दी विभाग के अध्यक्ष पद की भी जिम्मेदारी दी गई है।

10 नामित पार्षदों ने ली शपथ

...लय में नामित पार्षदों को शपथ दिलाती महापौर मृदुला जायसवाल।

...ा, जितेंद्र लालवानी, ...व, मिथिलेश गुप्ता, ...त, संजू सरोज, विपिन ...न दुबे और रामेश्वर ...जोगी शामिल हैं। इनमें ... पहले भी पार्षद रह ...र ने कहा कि नामित पार्षदों के शामिल होने से नगर निगम परिवार बढ़ा है। इससे जनसमस्याओं को हल करने में सहयोग मिलेगा।

कार्यक्रम में उपसभापति नरसिंह दास, नगर आयुक्त गौरांग राठी, अपर नगर आयुक्त डीडी वर्मा, पार्षद लक्की वर्मा, अशोक मौर्या आदि मौजूद थे।

शपथ ग्रहण समारोह पर पार्षदों ने उठाए सवाल

वाराणसी। नामित पार्षदों के शपथ ग्रहण आयोजन को लेकर विभिन्न दलों के पार्षदों ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि आयोजन में लॉकडाउन के पालन के बहाने वरिष्ठ पार्षदों व पार्षद दल नेताओं को भी आमंत्रित नहीं किया गया। जबकि बीजेपी कार्यकर्ता व अन्य लोग काफी संख्या में मौजूद थे। कांग्रेस पार्षद दल नेता सीताराम केसरी ने कहा कि यह बात समझ में आती है कि संक्रमण के कारण सभी पार्षदों को आमंत्रित नहीं किया गया। लेकिन कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग मौजूद थे। कार्यकारिणी सदस्य राजेश यादव चल्लू, पुनवासी गुप्ता, राजेश केसरी ने कहा कि ऐसे मौकों पर चुनिंदा पार्षदों को आमंत्रित किया जाना चाहिए था।

...ल बड़ा है तो दिल भी बड़ा हो'

...ा कार्यक्रम

...ा संवाददाता

...पार्टी की ओर से ...बुक लाइव कार्यक्रम ...निवार को भारतीय ...र का नेतृत्व कर चुकी ...ह ने विचार साझा किए। ...ने कहा कि माता-पिता ...थे, लेकिन उन्होंने हम ...को कभी भी खेलने से ...क प्रोत्साहित किया। ...बास्केटबॉल ग्लोबल ...ष्ट्रीय प्रतियोगिता में ...पड़ता है। कप्तान के रूप में सबको साथ लेकर चलना बड़ी चुनौती होती है। गोल बड़ा है तो दिल भी बड़ा रखना पड़ता है।

बास्केटबॉल खिलाड़ी पद्मश्री प्रशांति (दाएं) से वार्ता करती डॉ. प्रिया शर्मा।

वार्ताकार डॉ. प्रिया शर्मा से बातचीत में प्रशांति ने कहा कि आज के बच्चे मैदान की तुलना में मोबाइल, कंप्यूटर पर ज्यादा खेल रहे हैं। विकसित देशों की तुलना में हमारे यहां सुविधाएं कम हैं। देश के अंदर बड़े शहरों में जो आधारभूत सुविधाएं हैं, वे हर जगह होनी चाहिए।

संक्रमण में संगीत को बनाएं ब्रह्मास्त्र

वाराणसी। सुप्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉ. सी. तुलसीदास ने कोरोना के संक्रमण काल में संगीत को ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है।

कमच्छा स्थित वसंत कन्या महाविद्यालय की ओर से 'वैश्विक क्षितिज में लोकप्रिय भारतीय संगीत के विविध आयामों में आज की चुनौतियां और समाधान' विषय पर आयोजित दो दिवसीय वेबिनार के समापन सत्र में शनिवार को मुख्य अतिथि बीएचयू के संगीत एवं मंचकला संकाय के डीन प्रो. राजेश शाह थे। संगीतवेत्ता प्रो. चितरंजन ज्योतिषी ने कहा कि कोरोना काल में भारतीय संगीत को भी चुनौतियों का समाधान खोजना चाहिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रो. साहित्य कुमार नाहर, कैलिफोर्निया से जुड़ीं सितार वादक रेशमा श्रीवास्तव, यूनाइटेड किंगडम की नुपुर चतुर्वेदी, उमा भट्टाचार्य ने विचार रखे। समापन सत्र के अध्यक्ष प्रो. ऋत्विक सान्याल रहे। स्वागत महाविद्यालय की प्राचार्य प्रो. रचना श्रीवास्तव ने किया। दोनों दिन के सत्रों में संचालन डॉ. अंशु शुक्ला व डॉ. शुभा सिन्हा ने किया। डॉ. ...

वंचितों ने गढ़े नायक तो जन्मी कथा गायिकी

डॉ. संजय उपाध्याय।

वाराणसी। हमारे यहां वैदिक संस्कृति में भी बड़े ही अलौकिक जगत की चर्चा है। देवताओं को नायक की भांति प्रस्तुत किया गया है। उपेक्षित और वंचितों को मंदिरों से दूर रखा गया। इसलिए इस कुलीन संस्कृति के सापेक्ष हमारे लोक जीवन में भी इस प्रकार की परंपराओं का जन्म हुआ। वंचितों ने अपना-अपना एक नायक गढ़ा। उसके अंदर देवत्व तलाश करने की कोशिश की जो कालांतर में कथा गायिकी के रूप में प्रतिष्ठित हुई।

यह बातें मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के संस्थापक अध्यक्ष संजय उपाध्याय ने शनिवार को कथा गायिकी वार्ता क्रम के तीसरे सत्र में कहीं। दशरूपक, नाइन लिम्बस और रंग विदूषक के संयुक्त आयोजन में पटना से ऑनलाइन हुए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता डॉ. उपाध्याय ने कहा कि इन कोशिशों के चलते बहुत सारी गाथाएं रची गईं। पूरे देश में वर्गीय चरित्र के नायकों की कथाएं भरी पड़ी हैं। इन कथाओं को ...

प्राणाचार्य भवन आयुर्वेदिक संस्थान

पूरे परिवार की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए...

आयुष क्वाथ (काढ़ा)

संक्रमण से बचाव-आयुर्वेद ही उपाय

सर्दी-जुकाम, खांसी

इन्फेक्शन व इम्यूनिटी बढ़ाने में लाभकारी

तुलसी पत्र, दालचीनी, सोंठ, काली मिर्च से बनाया गया काढ़ा

सभी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध । Purchase Online: www.pranacharya.com

हेल्पलाईन : 9935509024

कार्यालय आजमगढ़ विकास प्राधिकरण आजमगढ़

पत्रांक - 565/ एडीए/ वृक्षारोपण 2020-21/ दिनांक 27.06.2020

ई-निविदा सूचना

पर्यावरण के संरक्षण, सौन्दर्यीकरण एवं हरियाली विकसित करने हेतु नरौली पुल से कलेक्ट्रेट परिसर के आस-पास सड़क की दोनों पटरियों के किनारे लगभग 500 वृक्ष ट्री-गार्ड के साथ लगाये जाने एवं वन विभाग/ उद्यान विभाग के मानक के अनुसार वृक्षों का 03 वर्ष का अनुरक्षण भी कराये जाने हेतु प्रदेश के प्राधिकरणों/ उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, लो.नि.वि., आर.ई.एस., उद्यान, सामाजिक वानिकी एवं अन्य सरकारी विभागों/ नगर निकायों/ जिला पंचायतों में पंजीकृत ठेकेदारों से कार्य की लागत की श्रेणी के अनुसार ऑनलाइन टू-बिड ई-निविदा https://etender.up.nic.in के माध्यम से आमन्त्रित की जाती है। प्राप्त ई-निविदाओं की तकनीकी बिड उपस्थित निविदादाताओं की उपस्थिति में आजमगढ़ विकास प्राधिकरण में दिनांक 10.07.2020 को खोली जायेगी। आमन्त्रित ई-निविदा से सम्बन्धित तिथि, समय व शर्तें https://etender.up.nic.in तथा आजमगढ़ विकास प्राधिकरण की वेबसाइट https://adaazamgarh.in एवं नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है।

सचिव
आजमगढ़ विकास प्राधिकरण
आजमगढ़

पत्रांक - 566/ एडीए/ वृक्षारोपण 2020-21/ दिनांक 27.06.2020

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गोरखपुर

(भारत सरकार द्वारा स्थापित स्वायत्त निकाय)

Website: https://www.aiimsgorakhpur.edu.in

प्रतिनियुक्ति आधार पर एम्स गोरखपुर के लिए निम्नलिखित, गोरखपुर द्वारा एम्स, पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

क्र.सं.	पद का नाम	समूह	वेतन	कुल पद
1.	चिकित्सा अधीक्षक	ए	7-वें पे सी में लेवल 14 (रु.144200-218200)	1
2.	वित्तीय सलाहकार	ए	7-वें पे सी में लेवल 13 (रु.118500-214100)	1
3.	अधीक्षण अभियन्ता	ए	7-वें पे सी में लेवल 13 (रु.118500-214100)	1
4.	अधिशासी अभियन्ता	ए	7-वें पे सी में लेवल 11 (रु.67700-208700)	1
5.	अधिशासी अभियन्ता	ए	7-वें पे सी में लेवल 11 (रु.67700-208700)	1
6.	लेखा अधिकारी	ए	7-वें पे सी में लेवल 10 (रु.56100-177500)	1

नोट:

1. उपरोक्त प्रतिनियुक्ति आधारित पदों में फार्म भरने की अन्तिम तिथि तक अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष होगी।
2. प्रतिनियुक्ति की प्रारम्भिक समय 3 वर्ष का होगा।
3. वे सभी अधिकारी जो उपरोक्त पदों हेतु अपनी योग्यता रखते है, उचित चैनल के माध्यम से अपना आवेदन उप-निदेशक (प्रशासन) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गोरखपुर-273001 (गोरखपुर उ.प्र. के नाम के नाम स्पीड पोस्ट/ रजिस्टर्ड ए.डी. के माध्यम से भिजवा सकते है। आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि रोजगार समाचार में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन तक।

विस्तृत विज्ञापन और आनलाइन आवेदन प्रपत्र संस्थान की वेबसाइट